क्रम-संख्या—148

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल0
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 28 अगस्त, 2025
भाद्रपद 6, 1947 शक सम्वत्

[*Re-published From an Extraordinary Issue of Gazette of India, Part II, Section 3 (iii) dated 28th August, 2025*]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN,
ASHOKA ROAD,
NEW DELHI-110001

Dated : 28th August, 2025,
Bhadra 06, 1947 (Saka),

NOTIFICATION

No. 480/Counting/2025 : - In pursuance of Rule 27 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974, the Election Commission of India hereby appoints the 9th September, 2025 (Tuesday), as the day on which and 6.00 p.m. of that day as the time at which, the counting of votes for the Vice-Presidential Election, 2025 shall take place in Room No. F-101, Vasudha, First Floor, Parliament House, New Delhi.

By order,
SUMAN KUMAR DAS,
Secretary.

———

By order,
CHANDRA SHEKHER,
Special Secretary.

[*भारत के राजपत्र के असाधारण अंक के भाग II, खंड 3 (iii) में दिनांक 28 अगस्त, 2025 से पुनः प्रकाशित*]

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली–110001
दिनांकः 28 अगस्त, 2025
भाद्र 06, 1947 (शक)

अधिसूचना

सं0 480/गणना/2025 :– राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 27 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग 9 सितंबर, 2025 (मंगलवार) को ऐसे दिन के रूप में जिस दिन और उस दिन के सांय 6:00 बजे का समय उस समय के रूप में नियत करता है, जिस समय पर उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2025 के मतों की गणना कक्ष सं0– एफ–101, वसुधा, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में की जाएगी ।

आदेश से,
सुमन कुमार दास,
सचिव।

———

आज्ञा से,
चन्द्रशेखर,
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 161 राजपत्र–2025–(461)–588+25 प्रतियां–(डी0टी0पी0/आफसेट)।